



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18186/2026

रवि कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	नूर मुहम्मद, योगेश कुमार श्रीवास्तव
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- यह जमानत अर्जी, मुकदमा अपराध संख्या 212/2026, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत, थाना रामगढ़, जिला फ़िरोज़ाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
- आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता का निवेदन यह है कि आवेदक के कब्जे से बरामद की गई निषिद्ध वस्तु की मात्रा 993 ग्राम चरस है, जिसे व्यावसायिक मात्रा से कम कहा जाता है। तर्क यह है कि पुलिस ने अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर राशि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। वसूली के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई पर हमला करने वाली अन्य प्रस्तुतियाँ भी की गई हैं। आगे तर्क यह है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का सही अक्षर से अनुपालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी पवित्रता को नुकसान पहुंचाया गया है। अधिवक्ता ने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



आवेदक के झूठे निहितार्थ को इंगित करने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करने की भी कोशिश की है। अभियुक्त की ओर से रखी गई दलीलों के दौरान अभियोजन पक्ष के पीछे दुर्भावना का भी बखान किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 5.4.2026 से जेल में है और पूरक हलफनामे में आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह से समझाया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

7. आवेदक- **रवि कुमार** जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए /बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) सुनवाई शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026